

Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur


NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 20th January, 2016

No. 02 L /8-9(Part)/2016/Fin/FCC-In exercise of the powers conferred under clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), as amended, the Governor of Chhattisgarh, hereby, constitutes the State Finance Commission consisting of Shri Chandrashekhar Sahu as Chairman and Shri Naresh Chandra Gupta as Member.

2. The Chairman and Member of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto 31st January, 2017.
3. The Notification in respect of terms of reference (TOR) shall be issued separately.
4. The Commission shall make its report available on or before 31st January, 2017 on each of the matters mentioned in the notification referred in para 3 above, covering a period of 5(five) years commencing on the first day of April, 2017. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings.

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh


(A.K. Singh)
Deputy Secretary
Finance Department

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर


अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2016

क्रमांक ०२ /एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष तथा श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य होंगे।


2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, जिस तारीख पर वे अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, उस तारीख से 31 जनवरी, 2017 तक पद धारण करेंगे।
3. निर्देश पद (टी0ओ0आर0) के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2017 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए0के0 सिंह)
उप सचिव

पृ.क्र. ०३ /एल 8-9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 02, दिनांक 20.1.16 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए0के0 सिंह)
उप सचिव

प्रतिलिपि:-

पृष्ठ.क्रमांक 03 / एल 8-9(पार्ट) / 2016 / वित्त / वि.आ.प्र. नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी, 2016

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. श्री चन्द्रशेखर साहू, अध्यक्ष, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़
6. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता, सदस्य, तृतीय राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
8. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. मुख्य सचिव के उपसचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
11. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती / जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(ए.के.सिंह)
उपसचिव